

27-10-21.

पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज दिलवाये जाने पर भी अधिवक्ता अपीलान्ट और न अपीलान्ट उपस्थित आये। अतः पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। बाक जाफा कारबिल दफतर हो।

शु

शु प्रबन्ध अधिकारी

पदेन

जजस्व अपील प्राधिकारी

भरतपुर (राज.)